IV 116/2015

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443307

न्यास पत्र

हमकि **श्रीमती अंजू सिंह पत्नी श्री बलिराम सिंह निवासी मकान नं0 547–जेड, गंगानगर, पोस्ट–बशारतपुर, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर** की हूं। हम मुकिरा जनहित के कार्यो को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूं और समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहती हूँ। हम मुकिरा की हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था होने के साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। जनहित में उक्त प्रकार के कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान कर विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। जनहित के उक्त प्रकार के कार्यो के संचालन तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत **10000/–(दस हजार) रूपये** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443308

सम्पत्ति की व्यवस्था मैं करती रहूँगी। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत एक न्यासपत्र को भी निष्पादित कर रही हूँ–

1. यहकि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"सिल्वर लाईन एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"** होगा जिसे इस न्यासपत्र में आगे **"न्यास"** या **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम–अमवा, पोस्ट–झुंगिया बाजार, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता होने पर भारत के बाहर भी नियमानुसार ट्रस्ट के कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

3. यहकि हम मुकिरा ट्रस्ट मजकूर की संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होऊँगी तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कही जाऊंगी। हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित किया जा रहा है। भविष्य में हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरा द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:–

   1. श्री प्रशान्त सिंह पुत्र श्री बलिराम सिंह निवासी मकान नं0 547 जेड, गंगानगर, पोस्ट–बशारतपुर, जिला–गोरखपुर।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443309

2. रतन कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी 404 बी, पुराना पोस्ट आफिस के पीछे, बशारतपुर, गोरखपुर।
3. श्रीमती अनुपम सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम–रामपुर खुरहुरिया, पोस्ट–भटनी, जिला–देवरिया।
4. श्री राजन दूबे पुत्र श्री बलवन्त दूबे निवासी मकान नं0 313–बी, नकहा नं0 2, विकास नगर विस्तार कालोनी, गोरखपुर।
5. दीपिका पुत्री श्री बलिराम निवासी शिवाजीनगर कालोनी, रूस्तमपुर, पोस्ट–शिवपुरी न्यू कालोनी, जिला–गोरखपुर।

4. यहकि हम मुकिरा द्वारा **"सिल्वर लाईन एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और जनसामान्य को शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट(10+2) व स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना।
4. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की सामान्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करना।
5. बच्चों, युवकों एवं युवतियों को कम खर्च में सुविधापूर्ण ढंग से उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी एवं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443310

तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर उनके सामाजिक उन्नयन हेतु शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज कार्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को सम्पन्न कर शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना।

6. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था करना।
7. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो वं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी, मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण, मोटर वाहन ड्रांइविंग प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
8. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
9. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या बृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
10. एड्स, कैन्सर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियापैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की स्थापना करना।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443311

11. समाज के सामुदायिक विकास, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति व राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
12. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
13. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्याॅन तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना।
14. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना।
15. विकलांगो के विकास एवं सहयोग हेतु आवश्यक कार्यक्रमो का संचालन करना तथा उनके पुर्नवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में विधिपूर्ण कार्यो को सम्पन्न करने के साथ ही साथ महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
16. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
17. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले मेडिसिनल प्लान्ट व आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
18. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल की स्थापना कर विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित करना।
19. यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन व कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करना।

Anju Singh.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443313

20. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा इसके लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन कराना।
21. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना।
22. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कराना।
23. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
24. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना।
25. पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण एवं मोटर वाहन अधिनियम व पारिवारिक विधि के बारे में जानकारी तथा अन्य जानकारी एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन कर महिलाओं तथा गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
26. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित कर अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना।
27. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
28. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443314

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना कर इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू संचालन के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख--भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443315

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
12. ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा आवश्यक होने पर उसके साधारण सभा का गठन करना।
13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर–तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. **ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था**

(क) <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–</u>

<u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः–</u>

1. ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिरा होऊगीं और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। किन्ही परिस्थितियों में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने के पूर्व हम मुकिर की मृत्यु हो जाये तो ट्रस्टी श्री प्रशान्त सिंह ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होंगे। हम मुकिरा द्वारा नामित उक्त ट्रस्टी के न रहने पर हम मुकिरा अथवा हम मुकिरा द्वारा नामित उक्त मुख्य ट्रस्टी के विधिक

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443316

उत्तराधिकारियों में से योग्य एवं ट्रस्ट के लिए हितैषी व्यक्ति को तत्कालीन ट्रस्टमण्डल के द्वारा ट्रस्ट का मुख्य न्यासी चयनित किया जायेगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख--रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443317

से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानो के क्रम में उसकी प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443318

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना। ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
2. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय–समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
3. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
4. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
5. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
6. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।
7. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिर्पोट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
8. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
9. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443319

10. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के समस्त कार्यो को करना।
11. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
12. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियॉ निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये ख़ाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. **ट्रस्ट के अभिलेख**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था**

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगीः–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443320

2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिये नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।
6. ट्रस्ट के लेखापरीक्षण हेतु मुख्यट्रस्टी द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी ।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति के साथ ही साथ ट्रस्टमण्डल ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होगीं।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 443321

11. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

a. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

b. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

c. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

d. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

e. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

f. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

g. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

h. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

Anju Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 443312

घोषणा

"सिल्वर लाईन एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट" की तरफ से हम **श्रीमती अंजू सिंह** मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके। यह भी घोषित करती हूँ कि ट्रस्ट के स्थापना के समय इस ट्रस्ट विलेख में अंकित 10,000.00 रुपये की सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य परिसम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

Anju Singh.

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. बालेराम सिंह S/o स्व० श्री नरसिंह सिंह
गंगा नगर मकान नं० 547 Z
बशारतपुर गोरखपुर

2. अशोक कुमार सिंह S/o स्व० लक्ष्मण सिंह
E-61 फर्टिलाइजर कालोनी गोरखपुर

दिनांक: 08-06-2015

मजमूनकर्ता

अनिरुद्ध प्रसाद साहनी
एडवोकेट
सिविल कोर्ट गोरखपुर

हीरालाल लाईसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला०नं०-६

आज दिनांक **08/06/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **208**

पृष्ठ सं. **303** से **332** पर कमांक **116**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश कुमार त्रिपाठी
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
8/6/2015